बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 79/17 उपनिवेशन विविध

महीराम पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी धरनोक तहसील नोखा जिला बीकानेर

—प्रार्थी

: ब ना म :

1. रामनिवास पुत्र श्री हजारी राम विश्नोई निवासी फूलदेसर तह. लूणकरणसर जिला बीकानेर
2. राजस्थान राज्य जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत सं.2

—अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हरिराम विश्नोई ।
2. अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरसाराम जाखड़ ।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न्.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

न्यायालय जिला कलेक्टर

: आदेश :

दिनांक 01.10.19

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना—पत्र **दिनांक 08.07.1998** को आयुक्त उपनिवेशन,बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण प्रार्थना—पत्र इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि **उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 6 पीएसडी के मु.नं. 64/33 के किला नं. 11 ता 14 की 4 बीघा कमाण्ड किला नं. 17 ता 24 की 8 बीघा कमाण्ड मु.नं. 65/28 की किला नं. 15,19,24,25 की 4 बीघा अनकमाण्ड व मु.नं. 64/26 की किला नं. 3 ता 5 की 3 बीघा कमाण्ड व मु.नं. 64/34 की किला नं. 1 व2 की 2 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 21 बीघा कमाण्ड भूमि का तबादला बिना सलाहकार समिति की राय व बिना लाटरी के कर दिया। तबादला आदेश एब एनिशियो वॉयड क्षेत्राधिकार के बाहर नलिटी व प्रभावहीन है। अतः** आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा अप्रार्थी को **दिनांक 14.04.1988** को राजस्थान उपनिवेशन (आईजीएनपी क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत आवंटित की गयी जो नियम विरूद्ध होने के कारण आवंटन निरस्त की जावे।

2. अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री नरसाराम जाखड़ अधिवक्ता उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

3. दिनांक 06.08.19 को नियत पेशी पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने आदेशिका पर नोट प्रेस अंकित करते हुए कथन किया कि वे प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि श्रीमती बुल्गीदेवी को आवंटित हो चुकी है। प्रार्थना पत्र सारहीन हो गया है। अतः प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. हमने उभयपक्ष के कथनो पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में हम यह उचित समझते है कि राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 22(3) के संबंध में कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है तथा अप्रार्थी को भूमि आवंटन की सत्यता/प्रमाणिकता के संबध में हम विस्तृत जांच करवाई जाना न्यायोचित समझते है।

5. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में **प्रकरण तहसीलदार, कोलायत को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण की विधिवत विस्तृत जांच कर प्रकरण बनता हो तो सक्षम न्यायालय में अविलम्ब प्रस्तुत करे। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावलियां उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रेषित की जाती है।**

6. आदेश आज दिनांक **01.10.19** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर